

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी- सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 10/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. बद्रीलाल पिता गोपीलाल जाट
2. श्रीमती गंगादेवी पत्नि बद्रीलाल जाट  
निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता नानुदास वैष्णव
2. कंचन पुत्री नंदादास वैष्णव
3. कमलाप्रसाद पिता सुखदेव ब्राह्मण
4. भैरु पिता हजारी गुजर
5. नारुलाल पिता भैरुलाल माली
6. भगवतीलाल पिता भैरुलाल माली
7. श्यामलाल पिता भैरुलाल माली
8. हीरालाल पिता प्यारा माली
9. सोहनलाल पिता बरदा माली
10. रामेश्वर पिता सोहन बलाई
11. रता पिता कालु बलाई
12. पीरु पिता डालु बलाई
13. देवीलाल पिता भुरा जाट

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 17 / 06 / 2019


:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2748 रकबा 0.36 हे0, 2749 रकबा 0.01 हे0 2750 रकबा 0.43 हे0 2451 रकबा 0.47 हे0 2755 रकबा 0.39 हे0 2756 रकबा 0.55 हे0 2794 रकबा 0.08 हे0 2800 रकबा 0.40 हे0 2801 रकबा 0.55 हे0 भूमि कुल किता 09 कुल रकबा 3.24 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 738 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1, 2, 3 व 5 लगायत 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता विपक्षीसंख्या 4 के खिलाफ कोई दाद नहीं चाहते हैं। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी

  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाडा

क्रमशः...

//02//

प्रकरण संख्या :- 10/2019  
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2748 रकबा 0.36 हे0, 2749 रकबा 0.01 हे0 2750 रकबा 0.43 हे0 2451 रकबा 0.47 हे0 2755 रकबा 0.39 हे0 2756 रकबा 0.55 हे0 2794 रकबा 0.08 हे0 2800 रकबा 0.40 हे0 2801 रकबा 0.55 हे0 भूमि कुल किता 09 कुल रकबा 3.24 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17 / 06 / 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



17/06/19  
(सी0एल0शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर (भीलवाड़ा)  
गंगापुर